न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 20/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 गोपिया उर्फ गोपाराम पुत्र तुलछाराम		1 दुर्गाराम पुत्र अमराराम
2 सेणकी पत्नी गोपाराम जातिगण बावरी निवासीगण बांजाकुडी तहसील जैतारण		2 उगमाई पत्नी जगदीश
		3 मांगीलाल पुत्र छोगाराम के का0मु0
		3.1 बीरजू पुत्र मांगीलाल
		3.2 राजू पुत्र मांगीलाल
		3.3 मुकेश पुत्र मांगीलाल
		3.4 माणक पुत्र मांगीलाल
		4 नारायण पुत्र तुलछाराम
		5 राणाराम पुत्र जयरूप
		6 धनकी बेवा अमराराम के का0मु0 रेस्पोडेन्ट संख्या 1
		7 श्रवणीदेवी पत्नी गोकलराम
		8 सीयाराम पुत्र गोकलराम
		9 धाराराम पुत्र गोकलराम
		10 प्रकाश पुत्र गोकलराम जातिगण बावरी निवासीगण बांझाकुडी
		11 हरदेवराम पुत्र भीकाराम जाति खटीक निवासी जैतारण
		12 पटवारी हल्का बांझाकुडी
		13 तहसीलदार (भूमिधारक) जैतारण
		14 सब रजिस्ट्रार जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 13 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांक : 1.2.2018

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 85/2011 गोपीया उर्फ गोपाराम बनाम दुर्गाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दिनांक 28.09.2016 के विरूद्ध पेश की, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया एवं उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बांझाकुडी तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 905, 906, 916 व 907 की भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 4, 6 से 10 की पुश्तैनी कब्जा काश्त सुदा है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट एवं उपरोक्त रेस्पोडेन्ट अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि के विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए, प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली कायमी तनकीयात हेतु दिनांक 01.06.2016 को नियत की गई। इससे पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.05.2016 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत ग्राम बांझाकुडी में रखने के आदेश दिए एवं पक्षकारों को जरिये नोटिस सूचित करने के आदेश दिए, किन्तु किसी प्रकार के नोटिस पक्षकारान् को जारी नहीं किए। राजस्व लोक अदालत के अन्तर्गत आपसी सहमति से प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है, किन्तु जैर अपील प्रकरण लोक अदालत में निस्तारण योग्य ही नहीं था। इसके बावजूद भी अपीलाण्ट को सूचित किए बिना राजस्व लोक अदालत कैम्प बांझाकुडी में दिनांक 27.06.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। असहमति की दशा में विधि अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियमों के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए ही विभाजन किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 05.02.2016 को प्रस्तुत रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित है कि भूमि के मौके पर विभाजन हो चुका है, गोपाराम ने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया है। जब भूमि का विधिक माप चौक किए बिना बंटवाडा किया है, तो वह मान्य नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें रकबा कितना है, अंकित ही नहीं किया। जैर अपील भूमि सड़क पर स्थित है तथा प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि में जाने हेतु सड़क से मार्ग दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए, जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में प्रकरण नियत किए जाने का अपीलाण्ट को किसी प्रकार का नोटिस ही जारी नहीं किया, इस कारण अपीलाण्ट को अन्तिम डिक्री की जानकारी ही नहीं थी। उक्त निर्णय की पालना में प्रतिवादी मौके पर कब्जा करने आए, तब अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय की जानकारी हुई, इसके पश्चात निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2014(1) पेज 258, आर0आर0टी0

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2010 (1) पेज 173, आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 1095 एवं आर0आर0टी0 (सप्ली.) 2016–2017 पेज 711 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में वादी था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.09.2016 को जैर अपील निर्णय पारित किया एवं अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 20.02.2017 को यह अपील प्रस्तुत की है, जो म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। जैर अपील वादस्थ भूमि में तुलछाराम का 1/2 हिस्सा एवं अमराराम का 1/2 हिस्सा था। उक्त भूमि मौके पर पूर्व से ही विभाजित थी एवं राजस्व रेकर्ड में विभाजन नहीं हुआ था, किन्तु मौके पर समस्त खातेदार अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त थे। उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 907 रकबा 50 बीघा की भूमि जैतारण मेडता सडक के पूर्व की तरफ स्थित है। इसके उत्तर का 1/2 हिस्सा अमराराम का एवं दक्षिण का 1/2 हिस्सा तुलछाराम का था। तुलछाराम के तीन पुत्र होने के कारण, उनकी भूमि के अधिक टुकडे होंगे, जिसमें दखल अन्दाजी की नियत से यह अपील प्रस्तुत की है। विधि अनुसार विभाजन के प्रकरण में अपील तब ही चलने योग्य होती है, जब हिस्सा कम दिया जाता है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया कि उसे हिस्सा कम दिया गया हो। इस कारण अपील चलने योग्य नहीं है। खातेदार दुर्गाराम ने अपनी भूमि में से कुछ हिस्सा उगमाई को बेचान किया है। अपीलाण्ट उत्तर की तरफ जहां हरदेव काबिज है, वहां अतिक्रमण करना चाह रहे है, इस कारण विवाद हुआ। अपीलाण्ट अपने 1/2 हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करना चाहते है, इस कारण हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। जैर अपील आदेश की पालना में नामान्तरकरण भी दायर हो चुका है, नक्शे में तरमीम भी हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्टतया मियाद बाहर होने से भी खारिज योग्य है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.04.2011 को विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए आदेशिका दिनांक 13.04.2016 के अनुसार पत्रावली कायमी तनकीयात हेतु दिनांक 26.04.2016 को नियत की गई एवं नियत दिनांक को पीठासीन अधिकारी दौरे पर होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.06.2016 को नियत की गई। नियत तारीख पेशी से पूर्व राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान आयोजित होने के कारण पत्रावली तारीख पेशी से पूर्व नम्बर पर ली जाकर दिनांक 27.06.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प बांझाकुडी में प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए। न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.06.2017 पर स्वयं अपीलाण्ट के अंगुष्ठ निशान मौजूद है, इस कारण अपीलाण्ट के इस तथ्य में बल नहीं है, कि उसे राजस्व लोक अदालत में पत्रावली नियत की जाने की सूचना

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नहीं हो। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा आपसी सहमति से विभाजन करने का निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2017 को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में अपीलाण्ट की उपस्थिति में मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसमें खातेदारान् के हिस्से अनुसार प्रस्तावित भूमि का खसरा नम्बरान एवं रकबे का पृथक पृथक निर्धारण किया गया। मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 05.09.2016 में यह स्पष्ट अंकित है कि गोपाराम मौके पर उपस्थित थे, जिन्होनें हस्ताक्षर/अंगुठा से मना किया। इससे यह प्रमाणित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री एवं उसकी पालना में तैयार की गई मौका रिपोर्ट, अपीलाण्ट की उपस्थिति में तैयार की गई है, जिसकी अपीलाण्ट को पूर्ण जानकारी थी। तहसीलदार जैतारण द्वारा दिनांक 23.09.2017 को प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकगण की उपस्थिति में जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं पाई जाती है। इस कारण विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णरूपेण चस्पा नहीं होते है। चूंकि जैर अपील निर्णय एवं डिक्री अपीलाण्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित की गई है तथा उक्त डिक्री की अपील दिनांक 20.02.2017 को की गई है। इस दौरान हुई देरी को कण्डोन करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया है। आर0एल0डब्ल्यु 1951 पेज 303 नौरतनमल बनाम हरिसिंह में प्रतिपादित किया कि "Limitation Act. S. 5-- Delay in filing appeal--Each day's delay after due date must be satisfactorily explained. It is the duty of an applicant, praying for indulgence under s 5 to explain each day's delay satisfactorily and if he fail to do so he cannot get the benefit of s. 5" इसी प्रकार आर0आर0डी0 1970 पेज 542 आर्य समाज शिक्षण संस्था, अजमेर बनाम श्री आदित्य नारायण में प्रतिपादित किया कि "Each day's delay from expiry of limitation held, not explained in compliance of provision of Sec. 5 - Collector acted illegally and with material irregularity in condoning delay on unwarranted and unjustified grounds--Discretion to condone delay to be exercised judicially -- Sufficient reason explaining each day's delay must exist before exercise of such a discretion" आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 939 डी0 गोपीनाथ पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ केरल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा –विलम्ब का उपशमन– अपील पेश करने में 3320 दिन का असाधारण विलम्ब– उचित रूप से एवं सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नही किया – सहानुभूति आधारों पर न्यायालय विलम्ब उपशमन नही कर सकता – असाधारण विलम्ब उपशमन हेतु कारण नही दिये गये – निर्णीत, आदेश संहवनीय नही है व अपास्त किया।" उक्त सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण रूपेण चस्पा होते है। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत माफ नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि गुणावगुण

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पर भी देखा जावे, तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटी प्रकट नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट की अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 85/2011 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2016 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 1.2.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली